न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 03/2024

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थीगण |
|---|---|---|
| 1— इकबाल अहमद खान व अन्य निवासी—मकान नम्बर 100, सम्राट नगर, शिकारगढ़, जोधपुर | | 1—नईम अहमद पुत्र इकबाल खान<br>2—शबनम पत्नी नईम अहमद खान एवं अन्य निवासी—मकान नम्बर 100, सम्राट नगर, शिकारगढ़, जोधपुर |

**अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 सपठित नियम 20(2) (1) (5) 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.12.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर दक्षिण द्वारा प्रकरण संख्या 95/2022 इकबाल अहमद व अन्य बनाम नईम अहमद व अन्य में पारित किया गया।**

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी उपस्थित।
2—प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 सपठित नियम 20 (2)(i)(5) राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 बाबत अपीलार्थी के मकान से पुत्र नईम अहमद, पुत्रवधु शबनम एवं उनके पुत्र—पुत्रियों को बेदखल/निष्कासित करने हेतु प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर दक्षिण द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 11.12.2023 को पारित किया गया, जिसमें मकान एवं दुकान से बेदखल करना उचित नही मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (03/2024) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगणों के नोटिस दिनांक 27.03.2023 के बाद तामील प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ड संख्या 1 व 2 दिनांक 19.06.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 क्रमशः उनके पुत्र व पुत्रवधु है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 सपठित नियम 20 (2)(i)(5) राजस्थान

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 बावत के तहत उनके आवासीय मकान एवं दुकान से बेदखल/निष्कासित करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थी ने अपनी रिटायरमेंट से अर्जित आय से रहवासीय आवास निर्मित किया तथा सन् 1996 मे अपीलार्थी ने अपनी बचत राशियों से एक व्यावसायिक दुकान खरीदकर उसमे अपना व्यवसाय स्थापित किया एवं अपने चारो बच्चों को उनके सामर्थ्य अनुसार शिक्षा दीक्षा दिलाकर अपने पैरों पर खडा होने योग्य बनाया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलार्थी का बड़ा पुत्र है जिसें कुछ समय के लिए अपीलार्थी ने अपनी दुकान में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इजाजत दी इस प्रकार प्रत्यर्थीगण धीरे धीरे वात्सल्य एवं स्नेह का नाजायज फायदा उठाकर रहवासीय मकान के उपरी तल पर काबिज हो गये, जिसके पश्चात उन्होनें अपीलार्थीगण का जीवन नारकीय बना दिया। अतः अपील स्वीकर करते हुए अपीलार्थी की दुकान एवं रहवासीय आवास से बेदखल/मुक्त करवाने का आदेश प्रदान किया जाय व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने अपनी समस्त आय अपीलार्थीगण को सुपुर्द की है तथा 54 वर्ष की आयु में पत्नी, दो विवाह योग्य बेटियों व एक बेटे को लेकर कही और जाने में असमर्थ है। रेस्पोडेण्ट संख्या –02 ने बतलाया कि रेस्पोडेण्ट संख्या–02 अपीलार्थीगण की सेवा चाकरी करते आए है तथा बीमारी वगैरह में भी ध्यान रखते आए है तथा अपीलार्थीगण अपने छोट बेटे कलीम, छोटी बहु शबाना एवं पुत्री अंजुम के साथ मिलकर रेस्पोडेण्ट संख्या –02 से मारपीट कर बेदखली का दावा किया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से वर्णित दुकान एवं रहवासीय आवास से अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखल/निष्कासित करने की प्रार्थना की गई। दोनो पक्षों की बहस सुनने पर अधीनस्थ अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कारणों की पूर्ण रूप से विवेचना नही की गई, कारणों के विवेचना के अभाव में आदेश अपूर्ण होता है। अतः उक्त आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ अधिकरण को रिमाण्ड किया जाकर यह आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निस्तारण के कारणों को विवेचना करते हुए स्वमुखरित आदेश पारित करे। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)